RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01/2025

अपीलांट–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. श्री अलाबक्स पुत्र सुल्तानखां जाति मोयला मुसलमान निवासी आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. श्री कालूखां पुत्र दीनेखां जाति मोयला मुसलमान निवासी आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. श्रीमती थानीदेवी पत्नी मोटाराम जाति कलबी चौधरी निवासी आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 3. श्री हल्का पटवारी, पटवार हल्का आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा 4. श्री उप तहसीलदार, जसोल। 5. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 आदेश दिनांक 30.11.2004 के दौरान उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीराराम प्रजापत एवं छत्रकरण सैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 बवाजुद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.06.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार जसोल के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 30.11.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27.02.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सरहद मौजा आसोतरा, पटवार हल्का आसोतरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 846 रकबा 10.08 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.11.2004 को उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व

जिला कलक्टर
बालोतरा

समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाशतकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2004 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खेत खसरा संख्या 846 रकबा 10.08 बीघा मौजा आसोतरा पटवार हल्का आसोतरा का बंटवाड़ा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 कालू खां के मध्य प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में आपसी सहमति से दोनों खातेदारान के रूबरू किया गया और उक्त आराजी के दो बट्टे हुए, जिसमें खसरा सं. 3000/846 अपीलांट का हिस्सा तथा खसरा सं. 3001/846 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज हुआ, तत्पश्चात् अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी रोक–टोक के कब्जा काश्त करते करते आ रहे है, ताबाद वक्त आवश्यकता दिनांक 17.06.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 01 ने खसरा सं. 3001/846 मौजा आसोतरा का पंजीकृत बेचान रेस्पोडेंट संख्या 02 थानी.देवी पत्नी मोटाराम जाति कलबी के हक में किया, बाद खरीद से राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा सं. 3001/846 रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज हुआ तथा मौजा आसोतरा उक्त आलोच्य भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 02 का बिना किसी रोक टोक के लगातार रूप से कब्जा काश्त विद्यमान है तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी कृषि भूमि में खर्चा कर जैसे खाद इत्यादि डालकर उपजाऊ बनाया तथा आवश्यकतानुसार निर्माण भी करवाया, उक्त तथ्यों से अपीलांट भलिभांति अवगत रहे। अपीलांट ने अपील में कथन किया कि अपीलकर्ता व गनी खां के मध्य एक दीवानी वाद सं. 37/2010 बअनवान वादी गनी खां बनाम प्रतिवादी अलाबक्स माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय सं. 02 में वर्ष 2010 से चल रहा था, जो दिनांक 16.10.2024 को अपीलांट के हक में निर्णित हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने वर्ष 2010 से लगातार रूप से राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया तथा खसरा सं. 846 मौजा आसोतरा के प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में हुए विधिवत बंटवाड़े की भी जानकारी अपीलकर्ता को बखूबी रही, मात्र कथन करने से कि जानकारी हाल में हुई, से परिसीमा के बिन्दु का लोप नहीं किया जा सकता। इस कारण अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 846 रकबा 10.08 बीघा भूमि स्थित मौजा आसोतरा, पटवारी हल्का आसोतरा, तहसील पचपदरा में अवस्थित है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

वादग्रस्त खसरा नंबर 846 के सबंध में वर्ष 2004 में आपसी सहमति से जो बंटवाडा (विभाजन) का आदेश पारित किया गया, जिसके सबंध में किस पक्षकार ने आवेदन किया तथा किस पक्षकार ने सहमति दी, इस सबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उप तहसीलदार जसोल व हल्का पटवारी आसोतरा के पास कोई दस्तावेज व रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, जबकि वादग्रस्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि पर आज भी अपीलांट का कब्जा कास्त है। वादग्रस्त खसरे की भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 2 का कभी कब्जा कास्त नहीं रहा, न ही है। जबकि यदि किसी पक्षकार ने हल्का पटवारी के समक्ष आवेदन किया है तो हल्का पटवारी का कर्तव्य है कि वह वादग्रस्त भूमि के मौके पर आकर कब्जा कास्त व रहवास अनुसार तथा वहां से गुजर रही रोड पर सामान्तर रखकर सहमति प्राप्त कर बंटवाडा (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर स्वीकृत करवा सकता था, मगर वादग्रस्त खसरे के बंटवाडा के सबंध मे कोई दस्तावेज या रेकर्ड नहीं मिलने से वादग्रस्त खसरे के बंटवाडा मे संदेह ज्यादा प्रतीत होता है। हल्का पटवारी ने कैम्प मे अपनी वाहवाही लूटने के लिये पक्षकारो से जानकारी व सहमति के बिना वादग्रस्त खसरे के मौके पर बगेर जाकर अपने मनमर्जी से बंटवाडा के दस्तावेज तैयार कर कैम्प मे पेश कर दिये तथा बाद मे रेकर्ड मे अमल दरामद कर दिया जो बंटवाडा गलत किया है। उक्त आलोच्य विभाजन बिना सहमति व बिना जानकारी से उपरोक्त गलत बंटवाडा अस्तित्व मे रहने से अपीलांट को भारी परेशानीयो का सामना करना पडेगा, क्योकि वादग्रस्त खसरे मे रेस्पोडेंट संख्या 2 के हिस्से मे आने वाले भाग में अपीलांट की आज भी ढाणियां बनी हुई है, जिसको बनाने मे अपीलांट के लाखो रुपये का खर्चा आया है। उससे अपीलांट को महरूम रहना पडेगा जिससे अपीलांट को अत्यधिक अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेंट संख्या 4 उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2004 के आधार पर खेत खसरा नंबर 846 रकबा 10.08 बीघा सरहद मौजा आसोतरा, तहसील पचपदरा का किया गया बंटवाडा को निरस्त कर अपीलांट की बनी ढाणियां व कब्जा काश्त अनुसार भूमि का पुनः बंटवाडा हेतु पत्रावली तहसीलदार पचपदरा को आदेशित करने की कृपा करावे।

6. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि यह कि वादग्रस्त भूमि के सबंध में वर्तमान में अपीलांट ने हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो अपीलांट को मालुम हुआ कि वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 846 रकबा 10.08 बीघा सरहद मौजा आसोतरा का बंटवाडा होकर वर्तमान मे खसरा नंबर 3000/246 रकबा 1.3152 हैक्टेयर अपीलांट के नाम व खसरा नंबर 3001/846 रकबा 1.3152 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट सं. 2 थानीदेवी के नाम दर्ज है। जव हल्का पटवारी आसोतरा से वादग्रस्त खसरे का बंटवाडा होने बाबत जानकारी प्राप्त की तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब न देते हुए जानकारी नही होने से इंकार किया गया। तब अपीलांट ने वादग्रस्त खसरा सं. 846 के बंटवाडा दर्ज होने बाबत रेस्पोडेंट सं. 4 उप तहसीलदार जसोल से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर वादग्रस्त खसरे के राजस्व रेकर्ड की मांग की तो उन्होने अपीलांट के आवेदन का जवाव देते हुए कहा कि वादग्रस्त खसरे के बंटवाडा के सबंध मे रेस्पोडेंट संख्या 4 उप तहसीलदार जसोल व रेस्पोडेंट सं. 3 हल्का पटवारी आसोतरा के पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, मगर यह अवश्य बताया कि वादग्रस्त खसरे का बंटवाडा वर्ष 2004 मे प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत आपसी सहमति से बंटवाडा के आदेश दिनांक 30.11.20204 को स्वीकृत अवश्य किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

वादग्रस्त खसरे का राजस्व रेकर्ड मिलने पर अपीलांट को वादग्रस्त खसरे का बंटवाडा होने व रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 को वादग्रस्त खसरे मे से अपना हिस्सा बेचान करने की जानकारी प्राप्त हुई, जबकि वादग्रस्त सम्पूर्ण खसरे पर आज भी अपीलांट का कब्जा कास्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 रिश्ते मे अपीलांट के काका (चाचा) लगते है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 दोनो ही स्वर्गीय खाजूखां के परिवार से आते है तथा वादग्रस्त खसरे की भूमि के सबंध मे श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायालय बालोतरा मे दीवानी वाद सं. 37/2010 (33/2022) बअनवान गनीखां बनाम अलाबक्स वर्ष 2010 से चल रहा था, जिसका निर्णय दिनांक 16.10.2024 को ही अपीलांट के पक्ष में हुआ है। इस प्रकार उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित आलोच्य विभाजन आदेश अरपात करते हुए पुनः नये सिरे से सहमति विभाजन आदेश पारित करने का आदेश फरमावे।

7. रेस्पोडेंट संख्या 1 दौराने बहस बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

8. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खेत खसरा सं. 846 रकबा 10.08 बीघा मौजा आसोतरा पटवार हल्का आसोतरा का बंटवाड़ा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 कालू खां के मध्य प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में आपसी सहमति से दोनों खातेदारान के रूबरू किया गया और उक्त आराजी के दो बट्टे हुए, जिसमें खसरा सं. 3000/846 अपीलांट के नाम तथा खसरा सं. 3001/846 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज हुआ, तत्पश्चात् अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी रोक–टोक के कब्जा काश्त करते रहे, ताबाद वक्त आवश्यकता दिनांक 17.06.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 01 कालुखा पुत्र दीने खां जाति मोयला ने खसरा सं. 3001/846 मौजा आसोतरा का पंजीकृत बेचान रेस्पोडेंट संख्या 02 थानी देवी पत्नी मोटाराम जाति कलबी के हक में किया, बाद खरीद से राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा सं. 3001/846 मौजा आसोतरा पर रेस्पोडेंट संख्या 02 का बिना किसी रोक टोक के लगातार रूप से कब्जा काश्त विद्यमान है तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी कृषि भूमि में खर्चा कर जैसे खाद इत्यादि डालकर उपजाऊ बनाया तथा आवश्यकतानुसार निर्माण भी करवाया, उक्त तथ्यों से अपीलांट भलिभांति अवगत रहे। अलावा इसके रेस्पोडेंट संख्या 1 कालूखा पुत्र दीनेखा जाति मोयला, निवासी आसोतरा द्वारा अपने हिस्से की खसरा संख्या 3001/846 रकबा 05 बीघा 04 विस्वा भूमि का जरीये रजिस्ट्री बैचान दिनांक 17.06.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 2 थानी देवी पत्नी मोटाराम जाति कलबी निवासी आसोतरा को किया गया, जो कार्यालय उप पंजियक जसोल द्वारा पंजीबद्ध किया गया। उक्त रजिस्ट्री को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, इस प्रकार का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री द्वारा किया गया बैचान एवं इसके उपरांत स्वीकृत म्युटेशन वैध है। अगर अपीलांट को उक्त बैचान बाबत् कोई आपति थी, तो उक्त रजिस्ट्री को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती अवश्य देता। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन हाने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रश्नगत आराजी का विधिक बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में तत्समय के खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 के मध्य, आपसी सहमति से हुआ, जिसकी

जिला कलक्टर
बालोतरा

जानकारी अपीलांट को बाद बंटवाड़ा से रही। वर्ष 2010 में रेस्पोडेंट सं. 01 ने जरीये पंजीकृत बेचाननामा अपने खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 3001/846 रकबा 1.3152 हैक्टेयर का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 को किया। बाद बेचान से रेस्पोडेंट सं. 02 का अपने खरीदसुदा कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह कथन किया है, कि वादग्रस्त खसरे की भूमि के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायालय बालोतरा में दीवानी वाद सं. 37/2010 वादी गनी खां बनाम प्रतिवादी अलाबक्स वर्ष 2010 से चल रहा था, जिसका निर्णय दिनांक 1610.2024 को अपीलांट के हक में हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद में अपीलांट ने पैरोकारी की और उसने कई बार राजस्व रेकर्ड का अवलोकन भी किया। अगर वास्तव में बंटवाड़ा मौके पर कब्जे से भिन्न होता तो उस समय अपीलांट द्वारा इस संबंध में कानूनी साराजोही अवश्य की जाती। प्रश्नगत आराजी खेत खसरा सं. 846 मौजा आसोतरा के विधिक बंटवाड़ा हेतु तत्समय के खातेदारान ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा होने का कथन करते हुए निवेदन किया, जिसके आधार पर राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने खातेदारों की आपसी सहमति व मौके पर काबिज काश्त के आधार पर प्रश्नगत आराजी के पास रास्ते पर अनुपातिक रूप से खातेदारान का हिस्सा रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर बंटवाड़ा किया। जिसमें राजस्व नियमों की पूर्ण पालना हुई व बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया गया। बाद बंटवाड़ा खसरा सं. 3001/846 पर पहले रेस्पोडेंट सं. 01 का तथा बाद खरीद रेस्पोडेंट सं. 02 का बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कब्जा काश्त रहा है। अगर प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में गांव में मौजिज लोगों व तत्सयम के खातेदारन के रूबरू हुए विधिवत् रूप व आपसी सहमति से राजस्व नियमों के अनुसार हुए बंटवाड़ा को निरस्त किया जाता है, तो रेस्पोडेंट सं. 02 को अपुरणीय क्षति होगी। जब अपीलकर्ता का सिविल न्यायालय मे बाद चला तो उक्त वाद में जवाबदावा, दस्तावेज में राजस्व रेकर्ड भी अपीलकर्ता की ओर से पेश किया होगा, तथा अपीलकर्ता ने अपनी मौखिक व दस्तोवजी साक्ष्य भी दी होगी तो फिर अपीलकर्ता की इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता कें सिविल न्यायालय के फैसले के बाद पूर्व में वर्ष 2004 में आपसी सहमति से हुए बंटवाड़ा की जानकारी हुई। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अपीलांट को प्रश्नगत बंटवाडें की जानकारी विगत 15–20 वर्षों से रही। मात्र परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने से परिसीमा का बिन्दु गौण नहीं हो जाता। उसके लिए देरी का स्पष्ट व विश्वास योग्य हेतुक भी दर्शित करना होता है। इस प्रकार अपीलकर्ता की अपील म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील भ्रामक, झुठे रचे गढे बनावटी तथ्यों पर आधारित होने तथा परिसीमा अधिनियम से विबन्धित होने से भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमायी जावें

10. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा आसोतरा, पटवार हल्का आसोतरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 846 रकबा 10.08 बीघा के खातेदारान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 कालू खां पुत्र दीनेखा के सहखातेदारी की थी। अधविक्ता अपीलांट की मुख्य आपति यह है कि उक्त [stamp]न की आलोच्य भूमि अपीलांट की है तथा उक्त आलोच्य विभाजन जो उप [stamp]दार जसोल द्वारा जारी किया गया है, ऐसा वास्तव किसी भी प्रकार आपसी

जिला कलक्टर
बालोतरा

सहमती विभाजन नहीं होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश दिनांक 30.11.2004 को अपास्त कर पुनः नये सिरे से करने हेतु निवेदन किया गया। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज व अभिलेख का अवलोकन किया, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 कालुखां वल्द दिनेखां द्वारा अपने खसरा संख्या 3001/846 रकबा 05 बीघा 04 विस्वा का समपूर्ण हिस्सा की भूमि रेसपोडेंट संख्या 2 श्रीमती थानीदेवी पत्नी श्री गोटाराम जाति कलबी, निवासी आसोतरा, तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 17.06.2010 को जरिये पंजीबंद्ध करवाकर बैचान कर दिया, जो जिल्द संख्या 07, पृष्ठ संख्या 38 कमांक 1238/2010 पर इंद्राज किया जाकर कार्यालय उप पंजीयक जसोल में दिनांक 17.06.2010 को पंजीबंद किया गया, होना पाया गया। जिसकी पालना में म्युटेशन संख्या 2306 हल्का पटवारी द्वारा खोला गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत, आसोतरा द्वारा म्युटेशन स्वीकृत किया गया एवं रेसपोडेंट संख्या 2 श्रीमती थानीदेवी का नाम रेकर्ड में दर्ज होना पाया गया। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी में खसरा संख्या 3000/846 रकबा 1.3152 हैक्टेयर भूमि अपीलांट अलाबक्स पुत्र सुलतानखां के नाम तथा खसरा संख्या 3001/846 रकबा 1.3152 हैक्टेयर भूमि रेसपोडेंट संख्या 2 श्रीमती थानी देवी पत्नी गोटाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होना पाया गया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्वातेज व रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान की भूमि का जरीये रजिस्ट्री बैचान किया गया। उक्त रजिस्ट्री को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री द्वारा किया गया बैचान एवं इसके उपरांत स्वीकृत म्युटेशन संख्या 2306 वैध होना प्रतीत होता है। अगर रेसपोडेंटगण को उक्त बैचान बाबत् कोई आपति थी, तो उक्त रजिस्ट्री को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देना विधिक प्रकिया होती। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त आलोच्य भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट का रहा है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिसे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त आलोच्य खसरान भूमि अपीलांट की हो। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि उक्त आलोच्य विभाजन आदेश उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया है, उक्त आदेश से संबंधित कार्यलय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने से तथा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होने से उक्त आलोचय विभाजन आदेश खारीज करने का आदेश फरमावे। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल से आलोच्य अभिलेख तबल किया किया, जिसमें उप तहसीलदार जसोल की सर्च रिपोर्ट में प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में अपीलांट का नाम अंकित होना पाया गया, लेकिन इस संबंधित मूल रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना पाया गया। अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं, जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट के कथनानुसार स्वंय अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन उपरांत वादग्रस्त खसरे की भूमि के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायालय बालोतरा में दीवानी वाद सं. 37/2010 वादी गनी खां बनाम प्रतिवादी अलाबक्स वर्ष 2010 से चल रहा था, जिसका निर्णय दिनांक 1610.2024 को अपीलांट के हक में हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद में अपीलांट ने पैरोकारी की और उसने कई बार राजस्व रेकर्ड का अवलोकन भी किया। अगर वास्तव में बंटवाड़ा मौके पर कब्जे से भिन्न होता ... समय अपीलांट द्वारा इस संबंध में कानूनी साराजोही अवश्य की जाती। ... अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड

जिला कलक्टर
बालोतरा

मे इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के 21 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से खारीज योग्य है।

11. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर बालोतरा
बालोतरा